Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पुलिस थाना सपोटरा का हैड कानिस्टेबल 3 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *18 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की करौली इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज शुक्रवार को बच्चू सिंह हैड कानि0 नं. 69 पुलिस थाना सपोटरा जिला करौली को 3 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा न्यायालय के मार्फत पुलिस थाना सपोटरा में दर्ज करवाये गये दुर्घटना के प्रकरण में कार्यवाही करने की एवज में आरोपी बच्चू सिंह हैड कानि0 द्वारा 7 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी करौली के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अमर सिंह** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर अपनी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये **बच्चू सिंह** पुत्र श्री खेमचन्द उम्र 46 वर्ष निवासी पास्ता, पुलिस थाना खोह, भरतपुर **हाल हैड कानिस्टेबल नं0 69 पुलिस थाना सपोटरा, जिला करौली** को परिवादी से 3 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेना व देना अपराध की श्रेणी में आता है। रिश्वत मांगने की शिकायत देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है** तथा कार्यवाही के पश्चात् उनके वैध कार्य में एसीबी द्वारा मदद भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप की जाती है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।